निविदा सूचना

नगर पंचायत ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त अनुदान धनराशि से नगर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के मध्यनजर नगर क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने हैं। सी0सी0टी0 कैमरे लगाये जाने हेतु इच्छुक, अधिकृत डीलर/फर्मो से टू–बिड, निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

अतः इच्छुक अधिकृत डीलर/फर्म, निविदा प्रपत्रों को नियत निविदा मूल्य को नकद अदा कर निविदा प्रकाशन तिथि दिनांक 19.09.26 से दिनांक 03.10.2026 समय 1:00 बजे तक कार्यालय दिवस/कार्यसमय में कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ से क्रय किये जा सकते है। निविदाओं को दिनांक 03.10.2026 को अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में डाले जा सकते हैं। प्राप्त निविदाऐं, निविदा समिति नगर पंचायत ऊखीमठ के द्वारा (अपरिहार्य परिस्थितियों को छोडकर) उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। सशर्त,अपूर्ण,बिलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निविदा समिति न0पं0 ऊखीमठ में निहित है। निविदा की अन्य नियम/शर्ते किसी भी कार्यदिवस/समय अथवा नगर पंचायत ऊखीमठ की वेबसाइट www.npukhimath.in पर देखी जा सकती हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम विवरण	धरोहर राशि	निविदा शुल्क
1	सी0सी0टीवी कैमरा (वायरलेस) 360^0 उच्च गुणवत्ता सम्पूर्ण स्थापित सहित।	30000.00	1000.00 + जी0एस0टी0
2	नगर क्षेत्र पूर्व में लगे सी0सी0टी0वी कैमरे का रिपेयर एवं 01 वर्ष तक मैंटेनेस कार्य।	10000.00	1000.00 + जी0एस0टी0

(सुनील वर्मा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत ऊखीमठ

(कुब्जा धर्मवाण)
अध्यक्ष
नगर पंचायत ऊखीमठ

।। कार्यालय,नगर पंचायत,ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग) ।।

पत्रांक 302/न0पं0 /विद्युत–सामाग्री/2026–27 दिनांक 18 सितम्बर 2026।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु सादर प्रेषित :–

1 – जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग।
2 – प्रभारी /संवाददाता अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना का प्रकाशन अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम स्पेस में शासकीय दरो पर प्रकाशित करवाकर जिला सूचना अधिकारी से प्रमाणित करवाकर बिल के साथ समाचार पत्र की 03–03 प्रतियां सहितभुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करना चाहें।
3 – अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 ऊखीमठ को निविदा कार्यवाही में भाग लेने हेतु ।
4– उपकोषाधिकारी, कोषागार ऊखीमठ, को निविदा कार्यवाही में भाग लेने हेतु ।
5– कार्यालय नोटिस बोर्ड।
6– सम्बन्धित पत्रावली।

(सुनील वर्मा)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,ऊखीमठ।

18/9/2026

O/C.

निविदाकार की पात्रता एवं नियम एवं शर्तें –

01- निविदाकार भारत में विधिवत पंजीकृत फर्म, /कंपनी/अधिकृत संस्था होना आवश्यक है।

02- निविदाकार के पास CCTV कैमरा, सर्विलांस सिस्टम, नेटवर्किंग अथवा संबंधित कार्यों की आपूर्ति एवं स्थापना का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।

03- निविदाकार को फर्म/संस्था का वैध पंजीकरण प्रमाण.पत्र, PAN, GST पंजीकरण प्रमाण.पत्र एवं अन्य आवश्यक वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

04- निविदाकार द्वारा पिछले वर्षों में किए गए समान प्रकृति के कार्यों के कार्यादेश/अनुभव प्रमाण.पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी। अनुभव की न्यूनतम सीमा निविदा की अनुमानित लागत एवं लागू क्रय नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

05- निविदाकार का GST एवं अन्य लागू करों में पंजीकरण वैध होना चाहिए तथा संबंधित विभाग से कोई वैधानिक बकाया /डिफॉल्ट होने की स्थिति में उसका विवरण देना होगा।

06- निविदाकार द्वारा यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि फर्म / संस्था को किसी सरकारी विभाग / स्थानीय निकाय /सरकारी संस्था द्वारा प्रतिबंधित अथवा debar/blacklist नहीं किया गया है।

07- निविदाकार को निविदा दस्तावेज में निर्धारित EMD/ बिड सिक्योरिटी निर्धारित रूप एवं समय में जमा करनी होगी। पात्र श्रेणियों को लागू नियमों के अनुसार छूट देय होने पर संबंधित वैध प्रमाण.पत्र प्रस्तुत करना होगा।

08- निविदा शुल्क , जहाँ लागू हो, निविदा दस्तावेज में निर्धारित राशि एवं निर्धारित माध्यम से जमा किया जाएगा।

09- निविदाकार द्वारा CCTV कैमरों, NVR, HDD, UPS, Switch, Cable एवं अन्य उपकरणों की Make, Model एवं Technical Specification स्पष्ट रूप से अंकित की जाएगी।

10- सभी उपकरण नए, unused एवं निर्धारित technical specification के अनुरूप होने चाहिए। Refurbished/used equipment स्वीकार नहीं किए जाएंगे। CCTV कैमरों एवं संबंधित उपकरणों की आपूर्ति निर्धारित specification एवं विभाग द्वारा स्वीकृत BOQ के अनुसार की जाएगी।

11- निविदाकार को स्थल का निरीक्षण कर वास्तविक आवश्यकता एवं installation conditions से स्वयं संतुष्ट होना होगा। बाद में स्थल की स्थिति की जानकारी न होने का आधार लेकर अतिरिक्त भुगतान का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। CCTV कैमरों की स्थापना, mounting, wiring, networking, configuration, testing एवं commissioning का कार्य निविदाकार द्वारा किया जाएगा। स्थापना के दौरान आवश्यक cable, connector, junction box, power supply, switch, rack, conduit/casing आदि की व्यवस्था BOQ/Technical Specification के अनुसार निविदाकार द्वारा की जाएगी। कार्य पूर्ण होने के बाद सभी CCTV कैमरों की Live View, Recording, Night Vision, Storage एवं Network Connectivity की जांच विभागीय अधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी।

12– CCTV सिस्टम की recording क्षमता निविदा में निर्धारित अवधि के अनुसार होगी। NVR एवं HDD की क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए।

13– CCTV सिस्टम में अनधिकृत access को रोकने के लिए आवश्यक password/security configuration की जाएगी। Default password को कार्य पूर्ण होने के बाद उपयोग में नहीं रखा जाएगा।

14– CCTV footage को निविदाकार अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा किसी अनधिकृत व्यक्ति को उपलब्धप्रसारित नहीं किया जाएगा।

15- निविदाकार को प्रत्येक स्थापित उपकरण की Make, Model, Serial Number, IP/MAC Address तथा Wrranty Details की सूची कार्य पूर्ण होने पर नगर पंचायत को उपलब्ध करानी होगी। सभी उपकरणों पर निर्माता की वैध warranty उपलब्ध होना आवश्यक होगा। Warranty certificate विभाग को प्रस्तुत करना होगा। Wrranty अवधि के दौरान तकनीकी खराबी आने पर निविदाकार द्वारा निर्धारित समय में खराबी दूर की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर खराब उपकरण को अपने खर्च पर बदला जाएगा।

16- विभाग की पूर्व अनुमति के बिना किसी CCTV कैमरे का स्थान, angle अथवा configuration परिवर्तित नहीं किया जाएगा।निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराई गई technical specification, catalogue, certificate एवं अन्य दस्तावेज सत्य होने चाहिए। गलतभ्रामक जानकारी पाए जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

17- निविदा में दरें सभी लागू करों, installation, transportation, loading/unloading, testing एवं commissioning सहित अथवा BOQ में निर्धारित आधार पर प्रस्तुत की जाएंगी। किसी अतिरिक्त मद का भुगतान तभी किया जाएगा जब वह विभाग द्वारा पूर्व स्वीकृत हो।

18- भुगतान वास्तविक रूप से आपूर्तिए स्थापना एवं सफल commissioning के पश्चात विभागीय सत्यापन के आधार पर

Scanned with OKEN Scanner

किया जाएगा।

19- सफल निविदाकार को कार्यादेश प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करना होगा। निर्धारित समय में कार्य पूरण न किए जाने पर निविदा/अनुबंध में निर्धारित शर्तों के अनुसार लागू दायित्व/ क्षतिपूर्ति/ अन्य कार्रवाई की जा सकेगी।

20- निविदाकार को उत्तराखंड सरकार की समय-समय पर लागू अधिप्राप्ति नियमावली, संशोधन, वित्तीय नियम एवं नगर निकाय में लागू प्रावधानों का पालन करना होगा। वर्तमान में उत्तराखंड Procurement Rules 2025 एवं 2026 amendment उपलब्ध हैं।

21- निविदा में प्रस्तुत दरें निविदा की वैधता अवधि तक मान्य रहेंगी।

22- विभाग को तकनीकी रूप से अयोग्य अथवा निविदा की शर्तों के अनुरूप न पाए जाने वाली निविदा को नियमानुसार अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

23- न्यूनतम दर (L-1) होने मात्र से कार्यादेश प्राप्त करने का स्वतः अधिकार नहीं होगा; चयन लागू नियमों, तकनीकी पात्रता एवं निविदा की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

24- सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के पश्चात, जहाँ लागू हो, निर्धारित Performance Security/Contract Security जमा करनी होगी।

25- किसी भी प्रकार की अपूर्ण, बिना हस्ताक्षर अथवा आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत निविदा को निविदा शर्तों एवं लागू नियमों के अनुसार अस्वीकार किया जा सकता है।

26- निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना निविदाकार की जिम्मेदारी होगी। कार्य के दौरान सरकारी भवन/संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी मरम्मत निविदाकार द्वारा अपने खर्च पर कराई जाएगी।

27– CCTV installation पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाएगा। विभागीय अधिकारी द्वारा संतोषजनक पाए जाने के बाद ही कार्य पूर्ण माना जाएगा।

28- निविदाकार द्वारा विभाग को आवश्यक user manual, configuration details एवं basic operating/training support उपलब्ध कराया जाएगा।

29- किसी भी विवाद की स्थिति में लागू नियमों एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

30- विभाग को आवश्यकता अनुसार निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत निविदा को निरस्त करने, पुनः निविदा आमंत्रित करने अथवा आवश्यक संशोधन/स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

उपर्युक्त सभी शर्तें निविदा दस्तावेज एवं भविष्य में निष्पादित होने वाले अनुबंध का अभिन्न अंग मानी जाएंगी।